UKGM

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(77) ग्राविवि/ग्रुप–5/राजीविका/2016–17 जयपुर, दिनांक 21 अक्टूबर, 2016

स्टेट मिशन डाइरेक्टर,
आर.जी.ए.वी.पी., उद्योग भवन,
जयपुर।

विषय :– आवास योजनाओं के अंतर्गत सीएलएफ के द्वारा टेग अधिकारी के कार्य सम्पादन हेतु निष्पादित किये गये MoU के क्रम में।
प्रसंग :– समसंख्यक पत्र दिनांक 10.10.2016

उपरोक्त प्रासंगिक पत्र के द्वारा राजीविका के तहत जिला डूंगरपुर, उदयपुर एवं बांसवाडा में गठित सीएलएफ के माध्यम से इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत निर्माणाधीन आवासों को पूर्ण कराये जाने बाबत् निष्पादित किये जाने वाले MoU को अनुमोदित किया गया था।

इस क्रम में दिनांक 13.10.2016 को राजीविका एवं विभागीय प्रतिनिधि की उपस्थिति में जिला परिषद् डूंगरपुर एवं राजीविका महिला सहकारी बहूउद्‌देश्यि समिति लिमेटेड झौथरी, पंचायत समिति झौथरी के मध्य MoU निष्पादित किया गया है। MoU की शर्तो के अनुसार आवाससॉफ्ट पर Geo tag Photo भी अपलोड कराई जानी है। आवाससॉफ्ट पर फोटो अपलोड कराने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा तैयार कराई गई मोबाईलएप "AwaasApp" गूगल–प्ले स्टोर पर निःशुल्क उपलब्ध है। मोबाईलएप को उपयोग के क्रम में लाभार्थी के सुलभ संदर्भ हेतु प्रकाशित पुस्तिका सभी जिला परिषदों को प्रेषित कर दी गई है। साथ ही ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ऑफ–लाईन फोटो ऑप्शन बाबत् अपग्रेड्‌ड मोबाईलएप "AwaasApp" उपयोग बाबत् PPT की सॉफ्टकापी सभी जिला परिषद्/पंचायत समिति को ई–मेल द्वारा प्रेषित की जा चुकी है, जिससे ऑफ–लाईन मोड में आवासों की फोटो capture कर अपलोड करने की कार्यवाही हो सके।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 19.10.2016 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ''पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण पंचायत शिविर'' अभियान की प्रगति की समीक्षा के दौरान पूर्ण हो चुके आवासों की भी GEO Tagging कराने व अपूर्ण आवासों को शीघ्र पूर्ण कराने हेतु पुनः निर्देशित किया गया है।

अतः उक्त सम्बन्ध में आपसे आग्रह है कि MoU के अधीन सीएलएफ राजीविका महिला सहकारी बहूउद्‌देश्यि समिति लिमेटेड झौथरी, पंचायत समिति झौथरी को निर्माणाधीन आवासों के इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत आवासों की Geo tag Photo भी आवाससॉफ्ट पर अपलोड कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करावें।

21/10/16
(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1 विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि, राजस्थान–जयपुर।
2 निजी सचिव, संयुक्त सचिव (ग्रा.आ.), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
3 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंरावि, राजस्थान–जयपुर।
4 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
5 वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
6 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् (ग्राविप्र) समस्त।
7. PD MGS [illegible] website [illegible] website [illegible] upload [illegible]

21/10
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)